न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 72/22 (वाद)

GCMS No. : 2022/188

अनवान

1. श्री भोपालसिंह पिता जवानसिंह जी देवड़ा, जाति राजपूत, आयु 42 वर्ष, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. श्री भंवरसिंह पिता मोड़सिंह जी देवड़ा जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती नीमा कुंवर पत्नी भंवरसिंह जी देवड़ा जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री नरेन्द्र वीरवाल, अधिवक्ता वादी।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20.01.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बामणिया खेत, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 219 रकबा 0.0486 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मुझ वादी के नाम 1/12 हक व हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम पर दर्ज हैं।
2. यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का मैं वादी सहखातेदार काश्तकार हूँ तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि का मौके पर वर्षों पूर्व ही आपसी पांती बंटवाड़ा हुआ है जिससे मैं वादी अपने हिस्से कब्जे की कृषि भूमि पर परिवारजन सहित काबिज होकर बिना किसी बाधा के निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और निरन्तर अपनी कृषि भूमियों पर मौसमवार फसलो की बुवाई कर पैदावार लेता आ रहा हूँ और उक्त कृषि भूमि मेरे व मेरे परिवार की आजीविका प्रमुख स्त्रोत है। इसके अलावा मेरे एवं मेरे परिवार के पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नही है। मुझ वादी [illegible] वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादीगण जो पति–पत्नी होकर आदतन झगडालु प्रवृति के होकर मेरी जमीन के पड़ौसी है जो हमसलाह एक राय होकर धनबल एवं भुजबल के आधार पर नाजायज तरीके से ताकत के बल पर मेरी जमीन को हड़पने की गरज से लम्बे समय से मुझे व मेरे परिवारजनों को हमारी उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने दे रहे है और मेरे खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में अनाधिकार रूप से प्रवेश कर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है तथा इसी उद्देश्य से दिनांक 29.04.2022 को प्रतिवादीगण ने हमसलाह एक राय होकर अनाधिकृत रूप से मेरी जमीन में प्रवेश कर मुझ वादी की जमीन पर की हुई बाड़ को जे०सी०बी० से हटवा दिया एवं पाली पर खड़े विशालकाय नीम व बबूल के पेड़ो को भी जे०सी०बी० से उखडवा दिये और मेरी जमीन में आने–जाने का मेरा जो निजी रास्ता है, उसके दोनों मुहानों पर नीम व बबूल के उखाड़े गये वृक्षों के तनो को डालकर रास्ते में अवरोध पैदा कर दिया। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य से मुझे करीब 20 हजार रूपया का नुकसान हुआ। मुझ वादी को उक्त घटना की जानकारी मिलने पर मैं वादी मौके पर पहुँचा और प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो ये दोनों आवेश में आकर मेरे साथ माँ–बहिन की फौस फौस गाली गलोच करते हुए लट्ठ और पावड़े से मारपीट करने पर आमादा हो गये। मेरे द्वारा हल्ला करने पर दुल्हेसिंह, लालसिंह, भगंवतसिंह दौड़ कर आ गये और इन लोगों ने प्रतिवादीगण से मुझे छुड़वाया। प्रतिवादीगण जाते–जाते यह धमकी देकर गये कि आयन्दा तू यहां दिखा तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देगें, तुम्हारा पता भी न ही चलेगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हैं। इसके बाद भी प्रतिवादीगण निरन्तर मुझ वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा कर रहे है और नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य की कार्यवाही कराने के लिये मुझ वादी ने दिनांक 30.04.2022 को पुलिस थाना डबोक में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर रिपोर्ट पेश की एवं पुलिस अधीक्षक महोदय, उदयपुर के समक्ष रजिस्टर्ड एडी के जरिए शिकायत पेश की जैरकार्यवाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

3. यहकि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि वाद पत्र में वर्णित जमीन मुझ वादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की है तथा मैं वादी अपने हिस्से कब्जे की जमीन अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूँ जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। फिर भी प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर मेरी जमीन को जोर जबरदस्ती भुजबल के जरिए हथियाना चाहते है और इसी नियत से लम्बे समय से प्रतिवादीगण मुझ वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते आ रहे है तथा दिनांक 29.04.2022 को भी मेरे खेत में जबरन घुस कर खेत की बाड़ व पाली पर खड़े हरे वृक्षों को जे०सी०बी० से उखाड़कर नुकसान पहुँचाया है एवं मेरे निजी रास्ते में अवरोध पैदा कर दिया। मना करने भी प्रतिवादीगण नही माने और मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए और इसके बाद भी निरन्तर दखलन्दाजी कर रहे है और नुकसान पहुँचाना चाह रहे है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। मैं वादी गरीब व्यक्ति हूँ और मेरे परिवार का गुजर बसर भी इसी जमीन में उपजने वाली फसलो से प्राप्त होने वाली आमदनी से ही होता है इसके अलावा मेरे व मेरे परिवार के पास आय का अन्य कोई स्त्रोत भी नही है। लेकिन प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती डरा धमका कर मुझसे मेरी जमीन को हथियाना की कोशिश में है और धमकी भी दे रहे है कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम हमारी मर्जी होगी वो करेगें और इस जमीन पर कब्जा करके तुझे बेदखल करके ही दम लेगें और कोई भी हमको रोकेगा तो उसको जान से खतम कर देगें। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मुझ वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि का मुझ वादी एवं मेरे परिवारजनों को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मेरे खेतो में खडे वृक्षों को नुकसान नही पहुँचावे, बाड़ को नुकसान नही पहुँचावे, फसल को बर्बाद नही करे, मेरे व मेरे परिवारजन के कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई [illegible] नुकसान होने वाला नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ [illegible] क्षति होगी जिसका मूल्यांकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shrivi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

4. यहकि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 29.04.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने हमसलाह एक राय होकर मेरे खेत की बाड़ को एवं पाली पर खड़े हरे नीम व बबूल के वृक्षों को जे०सी०बी० से उखडवा दिये और जमीन पर आने–जाने के मेरे निजी रास्ते को दोनों मुहानो पर उखाड़े गये वृक्षों के तने डालकर रास्ते में अवरोध पैदा कर दिया। मुझ वादी द्वारा मना करने पर ऐलानिया धमकीया देते हुए मरने मारने पर आमादा हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि का मुझ वादी एवं मेरे परिवारजनों को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, फसल को नुकसान नही पहुँचावे, बाड़ नही काटे, वृक्षों को नुकसान नहीं पहुँचावें, मवेशी नही घुसावें, मेरे व मेरे परिवारजन के कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। कि विकल्प में निवेदन है कि यदि दौरान दावा प्रतिवादीगण धनबल एवं भुजबल के जरिए जबरन वाद वर्णित कृषि भूमि (मुझ वादी के कब्जे की कृषि भूमि) पर कब्जा कर लेवे अथवा पाया जावे तो मुझ वादी को प्रतिवादीगण से पुनः कब्जा सुपुर्द कराया जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा जवाब मय काउन्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला–उदयपुर में स्थित होने का तथ्य स्वीकार है, किन्तु वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किन–किन खातेदारान के नाम दर्ज है यह तथ्य वादी स्वंय साबित करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि वादी द्वारा यह कथन कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर आपसी पांती बटवाडा हो रखा है यह तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, वादी द्वारा दर्शायी गई भूमि मात्र 6 बिस्वा है, उक्त कृषि भूमि पर काश्त कर अपने व अपने परिवार की आजीविका का मुख्य स्त्रोत वादी द्वारा बताया गया है जो अपने आप में विरोधाभाषी तथ्य है, वादी का यह कथन कि हम प्रतिवादीगण झगडालु प्रवृति के होकर धन–बल व भूजबल के आधार पर वादी के आधिपत्य की भूमि को जबरन ताकत के बल पर हड़पना चाह रहे है यह तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। हम प्रतिवादीगण शांति प्रिय होकर न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले है तथा शांति पूर्वक अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज हो उसका उपयोग–उपभोग कर रहे है, वादी का यह कथन कि दिनांक 29.04.2022 को हम प्रतिवादीगण द्वारा हम सलाह होकर अनाधिकृत रूप से वादी की जमीन में प्रवेश कर बाड़ को जे०सी०बी० से हटवा दिया व पाली पर खड़े पैडो को भी जे०सी०बी० से हटवा दिया गया यह तथ्य सरासर मिथ्या है। हम प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई कृत्य नही किया गया है वादी मात्र न्यायालय आपको अंधेरे में रख कर हम प्रतिवादीगण को अपने हिस्से कब्जे की कृषि भूमि के संरक्षण हेतु करवाये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने की गरज से न्यायालय आपसे स्थगन प्राप्त करना चाह रहा है जिसका वह किसी भी सूरत में हकदार नही है। मौके पर वादी को 1/–रूपये का भी नुकसान नही हुआ है क्योकि हम प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादी एवं अन्य खातेदारान् की सहमति से ही बाड को हटवाया गया था, हम प्रतिवादीगण द्वारा वादी अथवा वादी के परिवारजनो के साथ किसी भी प्रकार अशोभनीय व्यवहार नही किया गया है न ही किसी भी प्रकार की कोई धमकी वादी अथवा उसके परिवारजनो को दी गई है। हम प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नही किया जा रहा है वरन वादी एवं अन्य सहखातेदारो की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त हम प्रतिवादीगण द्वारा मौके से बाड को हटवाया गया था। वादी की नियत में फितुर उत्पन्न हो जाने से वादी ने यह मिथ्या कथन कर हम प्रतिवादीगण की जमीन हड़पने की नियत से यह झुठा वाद न्यायालय आपमें पेश किया है अतः वादी किसी भी सूरत में हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी स्थायी निषेधाज्ञा जा[illegible] है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि वादी का किसी भी सूरत में प्रथम दृष्ट्या मामला नही है न ही सुविधा संतुलन अथवा अशौधनीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में है क्योकि हम प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हिस्से कब्जे की जमीन में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं की गई है वरन हमारे द्वारा वादी एवं अन्य सहखातेदारो की सहमति से ही मौके पर बाड को हटवाया गया जिससे वादी को कोई नुकसान नही हुआ वरन वादी एवं उसके परिजनो द्वारा हम प्रतिवादीगण के खेत में खड़ी फसल, पेड़, पौधे, सब्जियो के पौधो को वादी द्वारा मेरी भूमि में मवेशी घुसा कर नष्ट कर दिये, रोकने पर भी वादी नही माना उल्टा हम प्रतिवादीगण के साथ दुर्व्यवहार करने लगा और मरने–मारने पर उतारू हुआ। वादी द्वारा जबरन मिथ्या तथ्यो पर आधारित मुकदमें की आड़ में हम प्रतिवादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि को हडपना चाहते है जिस हेतु वादी द्वारा यह प्रकरण पेश किया गया है वादी किसी भी सूरत में हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी तरह की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है वरन हम प्रतिवादीगण वादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है वादी हमारे हिस्से कब्जे की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश नही करे, हम प्रतिवादीगण एवं हमारे परिवारजनो को शांति पूर्वक हमारी भूमि का उपयोग–उपभोग करने देवें, हमारे खेत में खड़ी फसल को बर्बाद नही करें, कब्जा नही करें, उक्त कार्य वादी न स्वंय करें न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादी से करवावें, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु हम प्रतिवादीगण की ओर से वादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक–29.04.2022 अथवा अन्य किसी भी दिनांक को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है तथा न ही हम प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर वादी की जमीन की बाड़ को एवं पाली पर खड़े हरे नीम व बबुल के वृक्षो को जे०सी०बी० से उखाडा है केवल मात्र वादी ने वाद आप न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की गरज से झूठा वाद कारण बता यह दावा आप न्यायालय में पेश किया है।

10. काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) में स्थित खाता सख्या–178 की आराजी नम्बर–221 रकबा 0.1295 हैक्टेयर है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रतिवादी सख्या–1 भंवरसिंह पुत्र [illegible] सिंह राजपुत के नाम पर 1/9

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से से एवं प्रतिवादी सख्या–2 के नाम 2/9 हिस्से व अन्य सहखातेदारान् के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है।

11. यह कि काउन्टर क्लेम में वर्णित कृषि भूमि के हम प्रतिवादीगण 3/9 हक हिस्से के सहखातेदार, काश्तकार है तथा मौके पर आपसी सहमति से हो रखे पांती बटवाड़े में हम प्रतिवादीगण के जो हिस्सा हमारे पांती में आया है उस पर हम प्रतिवादीगण अपने परिवारजन सहित शांति पूर्वक काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है, जिसमें वादी अथवा किसी अन्य व्यक्ति कोई हक अथवा अधिकार नही है, परन्तु वादी जानबुझकर ताकत के बल पर संख्या बल में अधिक होने से जबरन हमारी उक्त काउन्टर क्लेम में वर्णित कृषि भूमि के दक्षिण दिशा का पडौसी होने से हम प्रतिवादीगण के हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि को हड़प कर कब्जा करना चाह रहा है। वादी की इसी कुचेष्ठा को भांप कर हम प्रतिवादीगण द्वारा वादी एवं अन्य सहखातेदारान् की सहमति से मौके पर खड़ी बाड को अमीन साहब को लाकर हमारी हिस्से कब्जे की जमीन को नपवाने के उपरान्त वादी एवं इसके परिजनो की उपस्थिति में हटाया गया, किन्तु वादी के मन में प्रारम्भ से ही हम प्रतिवादीगण के हिस्से व कब्जे की जमीन को हड़पने की लालसा थी, इस हेतु वादी ने मौके पर हम प्रतिवादीगण से लडाई–झगडा किया और हमारे द्वारा शांति पूर्वक सभी की सहमति से अपने हिस्से कब्जे की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बनाई जा रही दीवाल के निर्माण कार्य को रोक दिया, जिस पर हम प्रतिवादीगण की ओर से पुलिस थाना डबोक में एक लिखित रिपोर्ट भी पेश की गई जो जेर कार्यवाही है। वादी द्वारा जबरन ताकत के बल पर मौके पर हम प्रतिवादीगण की ओर से अपने खेत की सुरक्षा हेतु वादी की सहमति से बनाई जा रही दीवाल को वादी ने हमें बनवाने से रोक दिया तथा मौके पर हम प्रतिवादीगण के खेत में खड़ी फसल, पेड, पौधे एवं सब्जियो के पौधो को अपने मवेशी घुसा कर नष्ट कर दिया जिससे हम प्रतिवादीगण को करीब 50 हजार रूपये का नुकसान कारित हुआ जब हम प्रतिवादीगण द्वारा वादी एवं उसके परिवारजनो को ऐसा करने से रोका गया तो यह लोग गाली गलोच करते हुऐ हमारे साथ गंभीर वारदात करने पर आमादा हो गयें, जबकि वादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। हम प्रतिवादीगण वादी के निर्माण कार्य को रोकने के लिये स्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है जिस हेतु हमारी ओर से न्यायालय आपमें स्थायी निषेधाज्ञा हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है।

12. यह कि हम प्रतिवादीगण का प्रथम दृष्ट्या सुदृढ मामला है क्योकि काउन्टर क्लेम में वर्णित भूमि हम प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की होकर हम प्रतिवादीगण द्वारा शांति पूर्वक अपने कब्जे हिस्से की कृषि भूमि पर उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। जिसमें वादी अथवा उसके परिवारजनो का कोई हक अधिकार नही है। फिर भी वादी पक्ष जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर हम प्रतिवादीगण के हिस्से कब्जे की कृषि भूमि को हड़प कर नुकसान पहुंचाना चाह रहे है, क्योकि हम प्रतिवादीगण द्वारा वादी के इस नाजायज उद्देश्य की पूर्ति को रोकने के लिये अपने हिस्से कब्जे की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की ओर वादी एवं वादी के परिजनो की सहमति से पक्की दीवाल का निर्माण कार्य करवा जा रहा था, किन्तु वादी के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई और वादी ने जबरन ताकत के बल पर मौके पर शांति पूर्वक वादी की सहमति से हम प्रतिवादीगण के द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया और अपने मवेशी हम प्रतिवादीगण के हिस्से कब्जे की कृषि भूमि में जबरन घुसा दिये, जिससे हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में खड़ी फसल, पेड, पौधे एवं सब्जियो के पौधे को नष्ट कर दिया, जिससे हम प्रतिवादीगण को करीब 50 हजार रूपये का नुकसान कारित हुआ। अतः हम प्रतिवादीगण वादी एवं इसके परिजनो के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि वादी एवं इसके परिवारजन हमारी हिस्से कब्जे की कृषि भूमि का हमें शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, जबरन प्रवेश नही करे, मवेशी घुसा कर हमारी फसल को नष्ट नही करें, मौके पर हम प्रतिवादीगण द्वारा हमारे हिस्से कब्जे की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु करवाये जा रहे निर्माण कार्य को नही रोकें, उक्त कार्य न तो वादी करे न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादी के मार्फत करावें। स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से वादी को कोई क्षति अथवा नुकसान होने वाला नही है बल्कि यदि हम प्रतिवादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो हम प्रतिवादीगण को जो क्षति होगी उसका मुल्याकंन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव है। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय बिन्दू भी हमारे पक्ष में है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

13. यह कि हम प्रतिवादीगण को वादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम कारण दिनांक 30.04.2022 को उत्पन्न हुआ जब वादी एवं उसके परिजनो द्वारा हम प्रतिवादीगण द्वारा हमारे हिस्से कब्जे की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु वादी अथवा इसके परिवारजनो की सहमति से करवाये जा रहे निर्माण कार्य को जबरन ताकत के बल पर रूकवाया गया तथा मना करने के बावजुद भी यह लोग नही माने तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

14. अन्त में निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि हम प्रतिवादीगण के पक्ष में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वादी अथवा इसके परिजन काउन्टर क्लेम में वर्णित हम प्रतिवादीगण के हिस्से कब्जे की कृषि भूमि का हम प्रतिवादीगण को शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, हमारे खेत में खड़ी फसल को एवं सब्जियो के पौधो को नुकसान नही पहुंचावे, जबरन प्रवेश नही करें, कब्जा नही करें मौके पर हम प्रतिवादीगण द्वारा हमारे हिस्से कब्जे की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु करवाये जा रहे निर्माण कार्य को नही रोकें, उक्त कार्य नही स्वंय करें न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादी के मार्फत करावें।

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वादी का स्वीकार किये जाने तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस जवाब व काउण्टर वाद के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 184 पर दर्ज आराजी नम्बर 219 रकबा 0.0486 हैक्टर भूमि वादी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 178 पर दर्ज आराजी नम्बर 221 रकबा 0.1295 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य सहखातेदारों के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 उसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chand Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदारी हक भूमि में बाहुबल से कब्जा कर रहे तथा उसका रास्ता बन्द करने पर आमादा है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है वादी उसके हक हिस्से की भूमि पर बाहुबल बल से कब्जा कर रहा है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी के नाम दर्ज सहखातेदारी हक की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज सहखातेदारी हक की भूमि की सीमा एक ही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की भूमि पास–पास होने से मौके पर सीमा संबंधि विवाद हो सकता है। इसके लिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को अपनी अपनी भूमियों की सीमा जानकारी करवानी चाहिए थी, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके कौन किसकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उभय पक्षो द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया जिससे प्रतित होता हो कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि पर या प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा किया हो। ऐसे में उभय पक्षो को उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा जानकारी करवानी चाहिए। उसके पश्चात किसी भी पक्षकार को एक दूसरे की भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कब्जा प्राप्त करने का सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त करनी चाहिए। प्रकरण में उभय पक्षकारो द्वारा ही सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउण्टर वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउण्टर वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री भोपालसिंह पिता जवानसिंह जी देवड़ा, जाति राजपूत, आयु 42 वर्ष, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. श्री भंवरसिंह पिता मोड़सिंह जी देवड़ा जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती नीमा कुंवर पत्नी भंवरसिंह जी देवड़ा जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बामणिया खेत, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 72/22 (वाद)

GCMS No. : 2022/188

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउण्टर वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested